अपील सं. 56/14 रामसिंह / मुरली

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर [राज०]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
22.12.16	पत्रावली पेश हुई / विद्वान वकील अपीलांट उप० / उन्होंने अभिकथन किया कि पूर्व में अपीलाधीन आदेश के खिलाफ अपील सं. 28/14 पेश की थी, जिसमें दि० 25/2/14 को आदेश पारित कर तहत न्यायालय को धारा 212 RT एक्ट का प्रा०पत्र का निस्तारण एक माह में करने का आदेश दिया गया था, परन्तु तहत न्यायालय ने अदालत हाजा के इस आदेश की पालना नहीं की और प्रकरण का निस्तारण नहीं कर तारीख दर तारीख स्थगन की अवधि बढ़ाई जाती रही है, जो न्यायोचित नहीं है। अत: निवेदन है कि न्यायोचित आदेश पारित किया जावे।	
	हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील अपीलांट के कथनों पर गौर किया। अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध पूर्व में अपील सं- 24/14 पेश हुई थी, जिसका दि० 25/2/14 को निस्तारण कर तहत न्यायालय को निर्देश दिये गये थे कि आदेश 39 नियम 3क सी० पी० सी० के परिप्रेक्ष्य में एक माह के अन्दर प्रकरण का निस्तारण किया जावे परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने अदालत हाजा के उक्त आदेश की पालना नहीं की और तारीख दर तारीख स्थगन की अवधि	

— लगातार —

Scanned by CamScanner

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधि॰

अलवर [राज०]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
	बटाते रहे, जिसे कि न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। आदेश 39 नियम 3क CPC में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रा० पत्रो का निस्तारण एक माह के अन्दर किया जावे। परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने इन प्रावधानो की पालना नहीं की। ऐसी स्थिति मे तहत न्यायालय द्वारा जारी स्थगन स्थगित किये जाने योग्य है। साथ ही धारा 212 RT एक्ट के प्रा० पत्र का निस्तारण एक माह मे करने हेतु तहत न्यायालय को पुन: आदेश देना न्यायोचित समझते हैं।
	अत: आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर तहत न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को सुनकर धारा 212 RT एक्ट के प्रा०पत्र का निस्तारण एक माह के अन्दर करें, तब तक अपीलाधीन आदेश दि० 2-7-2013 स्थगित किया जाता है। अपीलांट वास्ते सुनवाई तहत न्यायालय मे नियत दिनांक को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।
	(हस्ताक्षर)
	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner